

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम करोरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 111/2019 (Bank Case)

"इण्डिया सेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड" जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विकास सिंह राठौड़ पुत्र श्री राकेश सिंह राठौड़ जिसका शाखा कार्यालय - पहली मंजिल 10-डी, पंजवानी कॉम्प्लैक्स, मल्टीपरपज स्कूल के सामने गुमानपुरा, कोटा-324007, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है तथा पंजीकृत कार्यालय- प्लॉट नं. 15, 6TH फ्लोर इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122002

- प्रार्थी / सिक्डोर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमति विजय लक्ष्मी पत्नि श्री हेमन्त कुमार सैन, निवासी-4-के-31, सेक्टर 4, महावीर नगर विस्तार योजना, दादावाडी, जिला कोटा-324009 (ऋणी)
  2. श्री हेमन्त कुमार सैन पुत्र श्री रामवतार सैन, निवासी-4-के-31, सेक्टर 4, महावीर नगर विस्तार योजना दादावाडी, जिला कोटा-324009 (सहऋणी)
- अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्डोरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेशियल ऐसिट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्डोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 15.10.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं "इण्डिया सेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड" जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विकास सिंह राठौड़ पुत्र श्री राकेश सिंह राठौड़ जिसका शाखा कार्यालय - पहली मंजिल 10-डी, पंजवानी कॉम्प्लैक्स, मल्टीपरपज स्कूल के सामने गुमानपुरा, कोटा-324007, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है तथा पंजीकृत कार्यालय- प्लॉट नं. 15, 6TH फ्लोर इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 में स्थित व कार्यरत है, से अप्रार्थीगण दिनांक 24.05.2018 को रुपये 7,40,000/- (अक्षरे: रुपये सात लाख, चालिस हजार मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थी सं० 1 व 2 ने ऋण व उसके मय व्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्डोरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति आवासीय निर्मित भवन जो गकान नं० 4-के-31, ब्लॉक नं० 4, महावीर नगर तहसील एवं जिला कोटा में स्थित है, जो रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 27.2.2018, से हेमन्त कुमार सैन के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 36 वर्गमीटर है। को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 31.03.2019 को एन.पी.ए.

*(Signature)*


जिला मजिस्ट्रेट

कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे वकाया राशि 7,73,382 /- ( अक्षरे रूपये सात, लाख, तिहत्तर हजार, तीन सौ ब्यासी मात्र) वकाया रकम दिनांक 30.04.2019 तक शेष देय है व आगे की वकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 22.04.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 22.04.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 22.04.2019 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अवल सम्पत्ति आवासीय निर्मित भवन जो मकान नं0 4-के-31, ब्लॉक नं0 4, महावीर नगर तहसील एवं जिला कोटा में स्थित है, जो रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 27.2.2018, से हेमन्त कुमार सैन के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 36 वर्गमीटर है । का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हरव कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 15.10.2019 को सुनाया गया ।

  
(ओम कसेरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा